न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दशम्, मुजफफरपुर।

प्रोबेट वाद सं0–43/2013

श्रीमती नीला देवी ———————————————— आवेदिका

बनाम

शम्भू पाण्डे वगै0 ———————————————— विपक्षीगण

<u>आदेश</u>

21.09.19

यह कि विपक्षी सं0–6 की ओर से एक आवेदन दिनांक 15.06.19 को इस आशय का दिया गया की विपक्षी सं0–9 की मृत्यु दिनांक 20.10.16 को हो गयी है। विपक्षी सं0–9 को कोइ ं संतान नहीं था तथा उनकी पत्नी संजु देवी ने दुसरी शादी कर ली है।

इसी संबंध में आवेदिका श्रीमती नीला देवी की ओर से दिनांक 26.07.19 को एक आवेदन इसी आशय का दिया गया की विपक्षी सं0–9 की मृत्यु दिनांक 20. 10.16 को हो गयी है तथा उनकी पत्नी संजू देवी दुसरी शादी कर लिया है। विपक्षी सं0–9 का नाम वाद पत्र से विलोपित किया जाय।

इसका प्रतिउत्तर विपक्षी सं0–1 से 5 की ओर से दिनांक 26.07.19 एवं 16. 08.19 को दिया गया। विपक्षी सं0–1 से 5 की ओर से दिया गया प्रतिउत्तर दिनांक 26.07.19 के अनुसार निवेदन किया गया की विपक्षी स0–6 अशोक कुमार पाण्डे और विपक्षी सं0–9 सुनील पाण्डे दोनो सहोदर भाई है। उनके आवेदन के अनुसार विपक्षी सं0–2 की मृत्यु दिनांक 20.02.16 को हुयी है। ऐसे में तीन वर्षो के पश्चात् उक्त आवेदन दिया जाना पोषणीय नहीं है।अतः उनकी ओर से यह भी अभीकथन नहीं किया गया कि संजु देवी की शादी कब व किसके साथ हुयी है। इस संबंध में कोई प्रमाण भी नहीं दाखिल किया गया है।

इसके अनुसार से दिनांक 16.08.19 को जो प्रतिउित्तर दिया गया उनके अनुसार सें आवेदिका एवं विपक्षी सं0–6 आपस में पती पत्नी है तथा विपक्षी सं0–9 सुनील पाण्डे विपक्षी सं0–6 का सहोदर भाई है। ऐसे में दिनांक 26.07.19 को आवेदन दिया जाना आवश्यक नहीं है। आवेदिका एवं विपक्षी सं0–6 जान बूझकर विपक्षी सं0–9 की मृत्यु की जानकारी न्यायालय को नही दी तथा जान बूझकर हीं सनील पाण्डे की पत्नी संजु देवी जो अभी जीवित है पक्षकार नही बनाया । अतः उक्त आवेदन को अभिलेख पर रखते हुए अंतिम निर्णय के समय उसपर विचार किया जायगा।

मैने अभिलेख का अवलोकन किया। विपक्षी सं0–6 के आवेदन दिनांक 15.06. 19 आवेदिका के आवेदन दिनांक 26.07.19 , विपक्षी सं0–1 से 5 के प्रतिउत्तर दिनांक 26.07.19 एवं 16.08.19 का विस्त्रृत अवलोकन किया। जिसके अवलोकन

से यह विदित होता है कि विपक्षी सं0–6 एवं 9 सहोदर भाई है। उक्त आवेदन तीन वर्षो के पश्चात् दिया गया है, न्यायहित में उक्त आवेदन को मो0 1000/–(एक हजार रूपये) खर्चे पर इस निदेर्श के साथ स्वीकार किया जाता है कि आवेदिका विपक्षी सं0–9 की पत्नी संजु देवी को जो कि आवश्यक पक्षकार है को पक्षकार बनाएं। इस निर्देश के साथ आवेदिका एवं विपक्षी के आवेदन सह प्रतिउत्तर का निष्पादन किया जाता है।

दिनांक 18.10.19 आवेदिका द्वारा आवश्यक कार्यवाई किये जान के संबंध में निश्चित किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्याया0,दशम्,
मुजफ्फरपुर।